रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1136] नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2016/वैशाख 21, 1938
No. 1136] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2016/VAISAKHA 21, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2016

का.आ. 1705(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में रुचि रखता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल पते: mk.singh65@ias.nic.in और satish.garkoti@ nic.in पर भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अध्यधीन, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति है, जो वह पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और समाप्त करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक और समीचीन समझती है ;

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 केंद्रीय सरकार को निदेश देती है, जो इस प्रकार है "केंद्रीय सरकार किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को निदेश दे सकेगी और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा ;

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में 2014 की रिट याचिका (सिविल) सं0 2364 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के तारीख 28 नवंबर, 2014 के आदेश के अनुसरण में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि तारीख 22 दिसंबर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन के अधीन पैरा सं0 5(i) और पैरा सं0 5(ii) की शर्तें अवैध और असंवैधानिक थीं और न्यायालय ने यह और अभिनिर्धारित किया कि अभिकथित अतिक्रमण की कार्रवाई स्वतंत्र कार्यवाही और पृथक् कार्यवाही होगी और इसलिए पर्यावरण अनापत्ति के लिए प्रस्ताव पर विचार करने के लिए परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती । माननीय न्यायालय ने यह व्यवस्था और दी कि पर्यावरण अनापत्ति के प्रस्ताव की परीक्षा इसके गुणागुण, पर्यावरण विधियों के अभिकथित अतिक्रमण के लिए किसी प्रस्तावित कार्रवाई से मुक्त आधार पर की जानी चाहिए ;

और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ ने 2015 के मूल आवेदन सं0 37 तथा 2015 के मूल आवेदन सं0 213 में तारीख 7 जुलाई, 2015 के अपने आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के अतिक्रमणों वाले निर्देश के निबंधनों या पर्यावरण अनापत्ति या तटीय विनियमन जोन अनापत्ति के प्रस्तावों पर विचार के विषय पर तारीख 12 दिसंबर, 2012 और 24 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उपबंधों को परिवर्तित या संशोधित नहीं कर सकते थे और अधिकरण ने उसे अपास्त कर दिया था ;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को कतिपय प्रस्ताव, निर्देशों के निबंधनों और पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए प्राप्त हो रहे हैं, जिन्होंने स्थल पर कार्य आरंभ कर दिया है, पर्यावरणीय अनापत्ति की सीमा से परे उत्पादन का विस्तार किया है या पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति को प्राप्त किए बिना उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन कर दिया है ;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऐसी परियोजनाओं और क्रियाकलापों को शीघ्रतम समय पर पर्यावरण के हित में पर्यावरणीय विधियों की अनुपालना और विनियमित समुदाय के अधीन लाना आवश्यक समझता है, बजाय इसको अविनियमित और अनियंत्रित छोड़ने के, जो पर्यावरण के लिए अधिक नुकसानदेह होगा ;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और सुधार तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को समाप्त करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक समझता है कि पर्यावरणीय विनियमनों की अनुपालना नहीं करने वाली सभी सत्ताओं को समीचीन रीति में पर्यावरणीय विधि की अनुपालना के अधीन लाया जाए, इस प्रयोजन के अग्रसरण में भारत सरकार ऐसी सत्ताओं को, जो अननुपालक थे, अनुपालक बनाने के लिए समुचित रक्षोपायों के साथ पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करना आवश्यक समझती है, प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे अननुपालना और अननुपालना के धनीय लाभ भयोपरित हों तथा पर्यावरण के नुकसान के लिए समुचित रूप से प्रतिकर हो ;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंडियन काउंसिल फार एन्वायरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ (बिछड़ी गांव औद्योगिक प्रदूषण का मामला) में 13 फरवरी, 1996 को निर्णय देते समय विधि के सभी सुसंगत उपबंधों का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष दिया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन नुकसानी की वसूली की जा सकती है (1996(3) एससीसी 212) । माननीय न्यायालय ने यह संप्रेक्षित किया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 केंद्रीय सरकार (या, यथास्थिति, उसके प्रतिनिधि) को "ऐसे सभी उपाय करने, जो वह पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और सुधार के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे....." अभिव्यक्त रूप से सशक्त करती है। धारा 5 केंद्रीय सरकार (या उसके प्रतिनिधि) को अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है । धारा 2(क), धारा 3 और धारा 5 में "पर्यावरण" की विस्तृत परिभाषा के अनुसार केंद्रीय सरकार को ऐसी सभी शक्तियां हैं, जो "पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और सुधार के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन" हैं। केंद्रीय सरकार, ऐसे सभी उपाय करने और ऐसे सभी निदेश जारी करने के लिए सशक्त है, जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो । इस मामले में उक्त शक्तियों के अंतर्गत गाढे कीचड़ को हटाने, उपचारिक उपाय करने और उपचारिक उपाय करने की लागत को उल्लंघन करने वाले उद्योग पर अधिरोपित करने की शक्ति भी है तथा इस प्रकार वसूल की गई रकम का, उपचारिक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए उपयोग करना भी है । माननीय न्यायालय ने यह और संप्रेक्षित किया है कि उपचारिक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित लागत का उद्ग्रहण धारा 3 और धारा 5 में अंतर्निहित है, जिसे अत्यधिक विस्तृत और व्यापक भाषा में व्यक्त किया गया है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और धारा 5 जल और वायु अधिनियमों के अन्य उपबंधों के अतिरिक्त सरकार को ऐसे सभी निदेश करने के लिए और ऐसे सभी उपाय करने के लिए सशक्त करते हैं, जो "पर्यावरण" के संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक या समीचीन हों, जिस अभिव्यक्ति को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 में अत्यधिक विस्तृत और व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया है । इस शक्ति के अंतर्गत किसी उद्योग कि निकट किसी क्रियाकलाप को प्रतिषिद्ध करने, उपचारिक उपायों को कार्यान्वित करने का निदेश देने और जहां कहीं आवश्यक हो, उल्लंघन करने वाले उद्योग पर उपचारित उपायों की लागत अधिरोपित करने की शक्ति भी है। प्रत्यर्थियों के उपचारिक उपायों की लागत की अदायगी के दायित्व का प्रश्न दूसरे दृष्टिकोण से

भी देखा जा सकता है, जिसे अब सार्वभौमिक रूप से ठोस सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है, जैसे "प्रदूषणकर्ता संदाय करता है'' का सिद्धांत। "प्रदूषणकर्ता संदाय करता है, सिद्धांत की यह मांग है कि प्रदूषण द्वारा कारित नुकसान को रोकने या उसका उपचार करने की वित्तीय लागत इस वचनबंध, कि जो प्रदूषण कारित करता है या ऐसे माल का उत्पादन करता है, जो प्रदूषण कारित करता है, के साथ होती है।"

इसलिए अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, प्रारूप अधिसूचना को प्रकाशित करती है, जो इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से ही, ऐसे मामलों पर, जो पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करने में असफल हो गए हैं, विचार करेगी।

उस दशा में, जब पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाएं या क्रियाकलाप संनिर्माण कार्य आरंभ करने के पश्चात् पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए लायी जाती हैं या जिन्होंने पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के बिना विस्तार, आधुनिकीकरण और उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन किया है, उन परियोजनाओं को अतिक्रमण के मामले के रूप में समझा जाएगा और उनका पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने के लिए अंकन किया जाएगा और प्रतिकर के लिए परियोजना प्रस्तावक किए गए या किए जाने के लिए संभाव्य नुकसान का उपचार करने के लिए पर्यावरणीय अनुपूरक योजना को क्रियान्वित कर सकेगा और अननुपालना तथा अतिक्रमण के कारण असम्यक् आर्थिक अभिलाभ को प्राप्त कर सकेगा। यथास्थिति, विशेषज्ञ अंकन समिति या राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति ऐसे मामलों को विशेषज्ञ समूह को निर्दिष्ट करेगी, जिसका गठन, अननुपालना और पर्यावरण को कारित नुकसान के कारण उद्भूत धनीय लाभ के लिए वस्तुनिष्ठ और पूर्ण निर्धारण करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। किसी राज्य में विशेषज्ञ समूह के अभाव में मामले का अंकन मंत्रालय स्तर पर किया जाएगा। विशेषज्ञ समूह पर्यावरण को कारित नुकसान के प्रत्यावर्तन के लिए और पर्यावरण के और सुधार के लिए कोई पर्यावरणीय अनुपूरक योजना तैयार कर सकेगा। पर्यावरणीय अनुपूरक योजना का ब्यौरा परिशिष्ट-1 पर दिया गया है। परियोजना प्रस्तावक विशेषज्ञ समूह की मानीटरी के अधीन पर्यावरणीय अनुपूरक योजना के क्रियान्वयन के लिए सहमति देगा और पर्यावरणीय अनुपूरक योजना का समाधानप्रद क्रियान्वयन पर्यावरणीय अनापत्ति की विनिर्दिष्ट शर्तों में से एक होगा। पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने और पर्यावरणीय अनुपूरक योजना की तैयारी के लिए परियोजना के अंकन की प्रक्रिया साथ-साथ की जाएगी।

[फा.सं. -22-116/2015-आईए-।।।]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-।

पर्यावरणीय संपूरित योजना (ईएसपी) संपूरित

1. पर्यावरणीय संपूरित योजना (ईएसपी) पर्यावरणीय रूप से एक लाभकारी परियोजना अथवा कार्यकलाप है जो कानून द्वारा अपेक्षित नहीं है किंतु जिसे पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 का कथित उल्लंघनकर्ता, पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के भाग के रूप में शुरू करने के लिए सहमत होता है। "पर्यावरणीय रूप से लाभकारी" से पर्यावरणीय संपूरित योजना, पर्यावरण का प्रतिकार, सुधार, व उसे सुरक्षित अथवा जन स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण को होने वाले खतरों में कमी करने से अभिप्रेत है। पर्यावरणीय संपूरित योजना परियोजनाएं अथवा कार्यकलाप उस स्थिति में अधिक हो जाऐगी, जो उल्लंघनकर्ता को अनुपालन करने के लिए और लागू कानूनों के अनुपालन द्वारा प्राप्त लाभों के अलावा, पर्यावरणीय और सावर्जनिक स्वास्थ्य के लाभों को सुरक्षित करने के लिए विधिक रूप से अपेक्षित हो सकती थी। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उल्लंघन होने की घटनाओं में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु मामलों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में परियोजना प्रस्तावक से अपेक्षा करेगा कि वे पर्यावरणीय कानूनों का अनुपालन करेंगें और उसे कायम रखेंगें और खतरों और जोखिम से हुए नुकसान की भरपाई हेतु कार्रवाई करेंगें। पर्यावरणीय संपूरित योजना का प्राथमिक प्रयोजन, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के उल्लंघन को हतोत्साहित करना और उन पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और लाभों को प्राप्त करना, जो अन्यथा उत्पन्न नहीं हुए।

2. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अनुपालन न करने से उत्पन्न अनुचित आर्थिक लाभों और पर्यावरण को पहुंची क्षति के आकलन हेतु मंत्रालय द्वारा गठित किए गए विशेषज्ञ समूह को उल्लंघन के ऐसे मामलों को भेजेगी। विशेषज्ञ समूह, परियोजना प्रस्तावक के साथ पर्यावरणीय संपूरित योजना को तैयार करने के लिए कार्य करेगा । विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा राज्य विशेष मूल्यांकन समिति, पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया में पर्यावरणीय संपूरित योजना की तैयारी हेतु पहले रेफरल पर विचार करेंगी। फिर मंत्रालय द्वारा गठित किया गया विशेषज्ञ समूह,पर्यावरणीय संपूरित योजना तैयार करने के लिए पात्र होगा। पर्यावरणीय संपूरित योजना में प्रस्तावित परियोजना को शामिल करने के लिए विशेषज्ञ समूह निम्नवत कार्रवाई करे :

i. यह सुनिश्चित करे कि परियोजना पर्यावरणीय संपूरित योजना की मूलभूत परिभाषा के अनुरूप है,

ii. यह सुनिश्चित करे कि सभी विधिक दिशानिर्देशों का पालन किया गया है;

iii. यह सुनिश्चित करे कि परियोजना पर्यावरणीय संपूरित योजनाओ को नामोदिदष्ट श्रेणियों में से एक (अथवा उससे अधिक) श्रेणी में उपयुक्त हो;

iv. उल्लंघनों अथवा अनुपालन न करने के कारण अनुचित आर्थिक लाभ की राशि और पारिस्थितिकीय क्षति के सुधार करने के लिए उचित लागत प्रस्तावक पर निर्धारित करें;

v. यह सुनिश्चित करे कि परियोजना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 की सभी कार्यविधियां और अपेक्षाओं को पूरा करती है ।

3. पर्यावरणीय संपूरित योजना का कार्यान्वयन केन्द्रीय सरकार के कानूनों और विनियमों की सख्ती को न तो कम करते है और ना ही समयबद्धता की अपेक्षा में कमी लाते हैं । पर्यावरणीय संपूरित योजना के कार्य निष्पादन से प्रस्तावक की उल्लंघन के शीघ्र प्रतिकार करके अनुपालन करने की वचनबद्धता को परिवर्तित नहीं करता है । वे परियोजनाएं अथवा कार्य, जो आवश्यक नहीं है, किंतु जो मानक उद्योगों प्रक्रियाओं को परिलक्षित करते हैं, को समान्यत:पर्यावरणीय संपूरित योजना के रूप में स्वीकार्य नहीं किया जाता है ।

4. **पर्यावरणीय संपूरित योजना के अंतर्गत प्राथमिकताएं:**

(i) पर्यावरणीय न्याय: पर्यावरणीय संपूरित योजना के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में इसे उच्च दर्जे की प्राथमिकता प्रदान की जाएगी । "पर्यावरणीय न्याय" (ईजे) को पर्यावरणीय कानूनों, विनियमों और नीतियों के विकास, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के संबंध में सभी व्यक्तियों, जाति, रंग, सिद्धांत अथवा आय के उचित प्रतिपादन और अर्थपूर्ण भागीदारी के रूप में पारिभाषित किया जाएगा । आबादी के निम्न-आय वर्गों पर प्रदूषकों का प्रभावन असंगत रूप से लादा गया है । पर्यावरणीय संपूरित योजना यह सुनिश्चित करने में सहायता कर सकती है कि वे निवासी, जो उल्लंघनों के कारण प्रभावित क्षेत्रों के समीप अवस्थित खाद्य और जल स्रोतों पर निर्भर रहते हैं अथवा अपने समय का महत्वपूर्ण हिस्सा उन पर व्यतीत करते हैं, उनकी सुरक्षा की जाएगी । कुछ स्थितियों में, पर्यावरणीय उल्लंघन द्वारा प्रभावित किसी समुदाय के सदस्य यह महसूस कर सकते हैं कि पर्यावरणीय संपूरित योजना के चयन सहित, प्रवर्तन प्रक्रिया में उनकी अर्थपूर्ण भागीदारी का अभाव है ।यह मंत्रालय सशक्त रूप से विशेष समूह और प्रस्तावकों को प्रोत्साहित करता है कि वे पर्यावरणीय संपूरित योजना के विचारों के लिए उन समुदाय तक पहुंचे और उन पर्यावरणीय संपूरित योजना प्रस्तावों को वरीयता प्रदान करे जिन्हें प्रभावित समुदाय से प्राप्त सूचना सहित तैयार किया गया है ।

(ii) प्रदूषण निवारण : प्रदूषण निवारण में एक ऐसे पर्यावरणीय प्रबंधन तारतम्य की पहचान की जाती है जिससे जब भी संभव हो, प्रदूषण का निवारण किया जाएगा अथवा उसमें कमी की जाएगी ; जिस प्रदूषण का निवारण नहीं किया जा सकता है उसका पुनर्चक्रण जब भी संभव हो, पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित तरीके से किया जाना चाहिए ; ऐसा प्रदूषण जिसका निवारण या पुनर्चक्रण न किया जा सके, जब भी संभव हो, उसका उपचार पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित विधि से किया जाना चाहिए ; और निपटान अथवा अन्य तरह से वातावरण में अंतिम स्थिति में ही छोड़ा जाना चाहिए । प्रस्तावित पर्यावरणीय संपूरित योजना का चयन और मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रबंधन (अर्थात पर्यावरणीय संपूरित योजना जिसमें प्रदूषण उत्पन्न होने से रोकने के लिए, तकनीकों या पद्धतियो के प्रयोग को प्रदूषण में कमी करने या नियंत्रित करने की कार्यनीतियों के अन्य प्रकारों पर अधिमान दिया जाता है) की इस तारतम्यता के अनुसार किया जाए ।

प्रदूषण उत्पन्न होने से रोकने वाली परियोजनाएं प्राय: नवीन और नवप्रवर्तन प्रौद्योगिकियों को अवसर उपलब्ध कराने, प्रदूषण निवारण तकनीकें और प्रणालियां तैयार करने और क्रियान्वयन में प्रभावकारिता भी पर्यावरणीय संपूरित योजना का मूल्यांकन करने में एक कारक है ।

(iii) नवप्रवर्तन प्रौद्योगिकी : पर्यावरण संपूरक योजना प्रस्तावक और विशेषज्ञ समूह को नई प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन करने का अवसर उपलब्ध कराएगी जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं और कार्य-प्रणालियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षाप्रद होंगे । पर्यावरणीय संपूरक योजना में विशेषज्ञ समूह अथवा विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को भी नई प्रौद्योगिकियों का निरीक्षण और मूल्यांकन करने के अद्वितीय अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे वे बेहतर मानक उद्योग पद्धतियों को आगे बढ़ाने में प्रभावी और दक्ष सिद्ध होंगे । प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन भी भावी उद्योग और वाणिज्यिक पद्धतियां जारी रखने ; उपलब्ध उत्तम प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करने और दीर्घावधिक प्रदूषण कमियों को जारी रखने तथा सार्वजनिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार को आगे बढ़ाने के साधन भी सुनिश्चित होंगे । नवप्रवर्तन प्रौद्योगिकी के विविध रूप हो सकते हैं और उन्हें पर्यावरणीय मीडिया और वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में लागू किया जा सकता है। ऑटोमेटिक मॉनीटर, ई-रिपोर्टिंग, आंकड़ों की वेब पोस्टिंग और स्वतंत्र तृतीय पक्षकार लेखा-परीक्षा जैसे नवप्रवर्तन बाध्यकारी तंत्र पर्यावरणीय संपूरक योजना पर विचार करने के लिए उचित होंगे ।

(iv) जलवायु परितर्वन : पृथ्वी की जलवायु बदल रही है। तापमान बढ़ रहा है और वर्षा का पैटर्न बदल रहा है और बाढ़ तथा सूखा और तटीय तूफान जैसी अधिक तीव्र मौसमी घटनाएं बढ़ गई हैं और उच्च तापमान का रिकॉर्ड पहले से विद्यमान है । ये प्रेक्षित परिवर्तन हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते स्तरों से जुड़े हैं। उदाहरण के तौर पर, उत्सर्जन में कमी करने वाली ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी कर ऊर्जा मांग में कमी करके जलवायु परिवतर्न में योगदान दिया जा सकता है । जलवायु परिवर्तन के कारणों का निराकरण और जलवायु परिवर्तन प्रदूषकों तथा कार्बन डाइआक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जनों को कम करने या रोकने वाली परियोजनाएं पर्यावरणीय संपूरक योजना को पूरा करेंगीं । उत्सर्जनों में कमी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रखने के अतिरिक्त, समुदायों को जलवायु प्रभावों की दृष्टि से अधिक प्रतिरोध क्षमता पूर्ण बनाने के लिए समुदाय सदस्यों द्वारा अनुकूलन कार्य भी पर्यावरणीय संपूरक योजनाओं के रूप में सुधार करेंगी । बदलती जलवायु से होने वाले परिवर्तनों के लिए अवसरंचना तैयार करने और प्राकृतिक पारि-प्रणालियों से समुदायों को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन करने और बदलती जलवायु के परिणामस्वरूप होने वाली घटनाओं से बचने या उबरने में अधिक प्रतिरोधक्षमता पूर्ण बनने में सहायता मिल सकती है । जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का निराकरण करने और पारि-प्रणालियों अथवा अवसरंचना पर इनके प्रभावों की दृष्टि से समुदायों को प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में सहायक परियोजनाएं पर्यावरणीय संपूरक योजना के रूप में कार्य करेंगी ।

5. परियोजना में यह प्रदर्शित किया जाए कि यह उल्लंघनों के कारण हुई पारिस्थितिकीय क्षति में सुधार करने के लिए अभिकल्पित है और यह निम्नलिखित में कमी लाएगी ।

(क) भविष्य में इस प्रकार के उल्लंघन होने की संभावना ;

(ख) उल्लंघन से सार्वजनिक स्वास्थ्य ओर पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव ;

(ग) उल्लंघन से प्रभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाला संभावित समग्र जोखिम।

6. पर्यावरणीय संपूरक योजना हेतु पात्रता : प्रस्तावित पर्यावरणीय संपूरक योजना सभी वैधानिक और संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए ताकि यह अंतरसंबंधों को पूरा करें । सभी परियोजनाओं में उल्लंघन और प्रस्तावित परियोजना के बीच पर्याप्त अंतर संबंध हों । पर्यावरण संबंधी कानूनों में विनियामकों को उल्लंघनों को रोकने और आदेश देने, भविष्य में उल्लंघन रोकने का विस्तृत प्राधिकार है, ऐसा क्रियाकलाप पर्यावरणीय संपूरक योजना के अनुकूल नहीं है । इसके अतिरिक्त, परियोजना उल्लंघन के लिए कार्रवाई के आधार के अंतर्गत आने वाले किसी प्रावधान को असंगत नहीं होनी चाहिए ।

7. यह परस्पर-संबद्धता स्थापित करनी आसान होगी यदि परियोजना का प्राथमिक प्रभाव उस स्थल पर पड़ता हो जहां कथित उल्लंघन उसी प्रकार की पारि-प्रणाली में, अथवा उसके साथ लगते भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक अलग स्थल पर हुआ हो। पर्यावरणीय संपूरित योजना का संदर्भ भी लिया जा सकता है, फिर चाहे ये भिन्न माध्यम में विभिन्न प्रदूषकों का समाधान करे, बर्शते कि यह परियोजना अध:स्थन उल्लंघन (उल्लंघनों) से संबंध रखती हो। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति पर्यावरणीय संपूरित योजना की विशेषताओं ("पर्यावरणीय संपूरक योजना के क्या, कहाँ, कब") का उचित ढंग से मूल्यांकन करेगी, तथा समाधान किए जाने

वाले अध:स्थ उल्लंघन में संबंध स्थापित करे, प्रत्येक परियोजना का प्रकार और कार्यक्षेत्र की विशेष रूप से व्याख्या और परिभाषा दी जाए। स्पष्ट पर्यावरणीय अथवा लोगों के स्वास्थ्य लाभ के साथ सुपरिभाषित परियोजना के बिना, विशेषज्ञ समूह परस्पर-संबद्धता प्रदर्शित नहीं कर सकता।

8. पर्यावरणीय अनुपूरक योजना की श्रेणियां: पर्यावरणीय संपूरित योजना में उल्लंघन के कारण होने वाली पारिस्थितिकीय क्षति को ठीक करने पर मुख्य जोर दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त के अतिरिक्त, पर्यावरणीय संपूरित योजना के रूप में अहर्ता प्राप्त कर सकने वाली परियोजनाओं की छह: विशिष्ट श्रेणियां नीचे दी गई हैं; कोई-कोई पर्यावरणीय संपूरित योजना एक से अधिक श्रेणी में पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त "अन्यों" के लिए सातवीं श्रेणी है।

(i) जन स्वास्थ्य: जन स्वास्थ्य परियोजनाओं में वे परियोजनाएं शामिल हैं जिनमें उल्लंघन के कारण मानव स्वास्थ्य पर होने वाले वास्तविक अथवा संभावित हानि से संबंधित नैदानिक, उपचारात्मक और स्वास्थ्य देख-रेख उपचार का प्रावधान किया गया है। इनमें जानपदिकरोगविज्ञान संबंधी वाले लोगों की चिकित्सा जांच; रक्त अथवा तरल अथवा ऊतक नमूनों के एकत्रण और विश्लेषण; चिकित्सा उपचार तथा स्वास्थ्यलाभ चिकित्सा शामिल है, परंतु यह परियोजना केवल इन तक सीमित नहीं है। जन स्वास्थ्य पर्यावरणीय संपूरित योजना में मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम अथवा प्राकृतिक आपदा स्थितियों में सहायता प्रदान करने हेतु एंटीमाइक्रोबॉयल उत्पादों का दान जैसी संबंधी पर्यावरणीय संपूरित योजना केवल वहीं स्वीकार्य है जहां परियोजना की प्राथमिक लाभभोगी वह जनसंख्या है जिसे उल्लंघनों के द्वारा क्षति पहुंची थी अथवा जिसे खतरे में डाला गया था।

(ii) प्रदूषण निवारण: एक प्रदूषण निवारण परियोजना प्रदूषण का निवारण इसके स्रोत पर, प्रदूषण होने से पूर्व ही करती है। इसमें पुनर्चक्रण, उपचार अथवा निपटान से पूर्व अपशिष्ट स्ट्रीम में प्रवेश करने वाले प्रदूषकों की मात्रा और विषाक्तता को कम करने वाली कोई पद्धति शामिल है। प्रदूषक अथवा अपशिष्ट स्ट्रीम सृजित हो जाने के बाद, प्रदूषण निवारण संभव नहीं रहेगा, तथा अपशिष्ट का प्रहस्तलन उपर्युक्त पुनर्चक्रण, उपचार, संशोधन अथवा निपटान पद्धतियां (अर्थात् प्रदूषण न्यूनीकरण) द्वारा किया जाए। स्रोत न्यूनीकरण परियोजनाओं में उपकरण अथवा प्रौद्योगिकी संशोधन, प्रक्रिया अथवा पद्धति संशोधन, उत्पादों का पुनर्निर्माण अथवा पुर्नप्रारूपण, कच्चे माल का प्रतिस्थापन नियंत्रण, अथवा अन्य प्रचालन और रख-रखाव, प्रशिक्षण, माल-सूची नियंत्रण, अथवा अन्य प्रचालन और रखरखाव पद्धतियों में सुधार शामिल है। प्रदूषण निवारण में ऊर्जा, जल अथवा अन्य सामग्रियों के उपयोग में दक्षता वृद्धि अथवा संरक्षण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने वाली कोई परियोजना और प्रक्रिया में अंतर्निहित पुनर्चक्रण` जिसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट को वापिस कर दिया जाता है, शामिल है। ऐसी परियोजनाएं जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रतिस्थापित अथवा कम कर सकती हैं अथवा जो ऊर्जा दक्षता कार्यकलापों को कार्यान्वित करती हैं; विद्युत उत्पादन और ग्रीनहाउस गैसों से संबद्ध जलवायु परिवर्तन के कारक वायु प्रदूषकों को कम करने की क्षमता रखती हैं, को प्रदूषण निवारण पर्यावरणीय संपूरक परियोजना के रूप में चुनी जा सकती है। सभी मामलों में, प्रदूषण निवारण की परिभाषा को पूरा करने हेतु एक परियोजना में उत्पन्न और पर्यावरण में निर्गत प्रदूषण की विषाक्तता और/अथवा मात्रा में समग्र कमी आवश्यक है, न कि मात्र प्रदूषण कमी का मीडिया के माध्यम से प्रचार। यह कमी या तो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जा सकती है अथवा ऊर्जा, जल अथवा अन्य सामग्रियों के उपयोग में बढ़ी हुई दक्षता और संरक्षण के माध्यम से।

(iii) प्रदूषण न्यूनीकरण: यदि प्रदूषण अथवा अपशिष्ट धारा पहले से ही सृजित अथवा निर्गत की जा चुकी है, पुनर्चक्रण, उपचार, संदूषक अथवा निपटान तकनीक के नियोजन से प्रदूषण न्यूनीकरण दृष्टिकोण उपर्युक्त होगा। एक प्रदूषण न्यूनीकरण परियोजना वह परियोजना जिसके परिणामस्परूप एक प्रचालनरत व्यापार अथवा सुविधा द्वारा पर्यावरण में निर्गत किए जा रहे अथवा अन्य या किसी अपशिष्ट स्ट्रीम में प्रवेश करने वाली किसी खतरनाक अपशिष्ट, प्रदूषण अथवा संदूषण की मात्रा और विषाक्तता में कमी आती है। इस प्रकार का पर्यावरणीय संपूरित योजना में एक विद्यमान प्रदूषण स्रोत के अधिक प्रभावी पद्धति-समप्ति नियंत्रण अथवा उपचार प्रौद्योगिकी, उन्नत संगरोधन, अथवा सुरक्षित निपटान का संस्थापन शामिल है। प्रदूषण न्यूनीकरण में "प्रक्रिया-इतर पुनर्चक्रण" जिसमें औद्योगिक अपशिष्ट उत्पादन प्रक्रिया के बाद एकत्रित किया जाता है तथा उपभोक्त अपशिष्ट सामग्री का उपयोग स्थल-इतर उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है।

(iv) पयार्वरण सुधार और संरक्षण: पर्यावरण सुधार और संरक्षण परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो पारि-प्रणाली तथा अतिक्रमण से कुप्रभावित भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए है। इस तरह की परियोजनाएं प्राकृतिक पर्यावरण की बहाली या संरक्षण तथा मानवजनित पर्यावरण संदूषण के और इस तरह के अन्य मुददों के निराकरण के लिए प्रयोग में लायी जा सकती है तथा इनमें ऐसी कोई परियोजना शामिल हो सकती है जो अतिक्रमण के फलस्वरुप वास्तव में हो चुकी या हो सकने वाली क्षति से पारि-प्रणाली का संरक्षण करने के लिए है अथवा जो पारि-प्रणाली की समग्र स्थिति में सुधार के लिए है। इस तरह की परियोजनाओं के उदाहरण हैं - जिस हवाई मार्ग में सुविधा अवस्थित है, उसकी पारि-प्रणाली में स्थित नमभूमि का जीर्णोद्धार अथवा ऐसी पेयजल आपूर्ति के संरक्षण के लिए जलसंभर क्षेत्र का प्रबंधन जहां अतिक्रमण (अर्थात सूचित अतिक्रमण) से जलसंभर को प्रत्यक्ष क्षति न पहुंची हो परंतु असूचित अतिक्रमण से क्षति पहुंचने की संभावना हो। इस श्रेणी में वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जिनमें संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण की व्यवस्था है (अर्थात संरक्षण कार्यक्रमों वाली या अतिक्रमण के कारण संकटापन्न स्थिति में पहुंची प्रजातियों के कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यावासों के संरक्षण संबंधी परियोजनाएं)। जिन परियोजनाओं में जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो चुका है, उनमें पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना में, कतिपय परिस्थितियों में, कुछ पुनर्सृजन विषय में सुधारों के किये जाने या उनके अनुरक्षण की व्यवस्था शामिल की जा सकती है।

(v) आकलन और लेखा परीक्षा : आकलन और लेखा परीक्षा श्रेणी में तीन तरह की परियोजनाएं आती हैं: (क) प्रदूषण निवारण आकलन; (ख) पर्यावरण गुणवत्ता आकलन और (ग) अनुपालना की लेखा परीक्षा/इन आकलन; और लेखा परीक्षाओं को पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना के रुप में केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब प्रस्तावक रिपोर्ट की एक प्रति विशेषज्ञ दल या विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को उपलब्ध कराने पर सहमत हो जाए तथा परिणामों को उस सीमा तक जन साधारण को उपलबध कराया जाए जिस सीमा तक उनमें गोपनीय सूचना मौजूद नहीं है।

(क) प्रदूषण के निवारण का आकलन व्यवस्थित रुप से होता है तथा विसाक्त और खतरनाक पदार्थों तथा अपशिष्टों के प्रयोग, उत्पादन और उत्पत्ति में कमी लाने की संभावनाओं को पहचानने और इस बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई विशिष्ट प्रक्रियाओं और कार्यों की आंतरिक समीक्षा होती है। पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना की पात्रता का पता लगाने के लिए, मान्यता प्राप्त प्रदूषण निवारण आकलन या अपशिष्ट न्यूनीकरण प्रक्रिया का पालन करके इस तरह के आकलन किए जाने चाहिएं। प्रस्तावक द्वारा कार्यान्वयन प्रतिबद्धता के लिए बिना पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना के रुप में प्रदूषण निवारण संबंधी आकलन तभी स्वीकार्य होते हैं जब विशेष दल द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना से अन्य लाभ भी हैं। आकलन के परिणामों के ज्ञात होने से पहले प्रदूषण निवारण के उपाय करना कठिन है तथा कार्यान्वयन संबंधी सिफारिशों में से कई में ऐसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं जो उल्लंघन कर्ता के अपने आर्थिक हित में हों और जिनके लिए पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना की जरुरत नहीं।

(ख) पर्यावरण संबंधी गुणवत्ता आकलन प्रस्तावक के स्वामित्व वाले या उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले स्थल पर पर्यावरण की स्थिति किसी स्थल से प्रभावित पर्यावरण या सुविधा, चाहे वह स्थल या सुविधा प्रस्तावक के स्वामित्व या कार्यक्षति में हो या न हो; अन्यथा किसी स्थल या सुविधा से मानव स्वास्थ या पर्यावरण को होने वाले खतरों, चाहे वह स्थल या सुविधा प्रस्तावक के स्वामित्व या कार्य क्षेत्र में होया न हो, की स्थिति के अन्वेषण हैं । पर्यावरण संबंधी गुणवत्ता आकलन में किसी स्थल पर पर्यावरण में संदूषण के स्तरों या स्रोतों का अन्वेषण तथा किसी स्थल या सुविधा के आस-पास वायु, मिट्टी अथवा जल की गुणवत्ता की निगरानी शामिल हैं परंतु उक्त आकलन केवल इन तक ही सीमित नहीं है । ऐसे निगरानी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे संबंधित आंकड़ों के आधार पर अत्यधिक काम से लदे समुदायों का सशक्तीकरण किया जा सकता है और पर्यावरण को होने वाले संभावित खतरों और जोखिमों से संबंधित सूचना प्राप्त की जा सकती है और इन्हें कम करने के प्रयासों में तेजी लाई जा सकती है । पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना की पात्रता के निर्धारण के लिए, किए जाने वाले आकलन के प्रकार के संबंध में लागू मान्य प्रोटोकाल, यदि उपलब्ध हो, के अनुसरण में इस तरह के आकलन किए जाने चाहिए।

(ग) अनुपालना संबंधी लेखा परीक्षा किसी इकाई की ऐसी लेखा परीक्षा है जो विधि द्वारा निर्धारित विभिन्न पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के संदर्भ में की जाती है ।

(vi) पर्यावरण अनुपालना संवर्धन परियोजना : पर्यावरण संवर्धन परियोजना के तहत व्यवस्थित समुदाय के अन्य सदस्यों को प्रशिक्षण या तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है जिसके पीछे उद्देश्य हैं - (क) लागू नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं को पहचानना, उन्हें प्राप्त करना और उनका अनुपालन बनाए रखना, या (ख) विधिक अपेक्षाओं से परे प्रदूषकों के सृजन, निर्मुक्ति अथवा निपटान में कमी लाकर अनुपालना के निधार्रित लक्ष्य से आगे बढ़ना । इसी तरह की परियोजनाओं के प्रस्तावक के पास परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी अनुभव

ज्ञान और क्षमता की कमी हो सकती है और ऐसी स्थिति में प्रस्तावक के लिए यह जरूरी है कि वह अनुपालना संवर्धन परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए किसी उपर्युक्त विशेषज्ञ संस्थान के साथ करार कर ले । उदाहरणार्थ स्वीकार्य परियोजनाओं में प्रस्तावक के आर्थिक क्षेत्र के भीतर व्यापक या प्रचलित अतिक्रमणों को सही करने से संबंधित सेमिनार की प्रत्यक्ष मेजबानी करना शामिल हो सकता है । पर्यावरण अनुपालना संवर्धन तथा पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना केवल तभी स्वीकार्य हो सकती है जब परियोजना का मुख्य केन्द्र बिंदु वही विनियामक कार्यक्रम अपेक्षाएं हों जिनका उल्लंघन हुआ था और जब विशेषज्ञ दल के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र में पूरी तरह अनुपालना की जाएगी ।

(vii) अन्य प्रकार की परियोजनाएं : जो परियोजनाएं उपर्युक्त में से किसी श्रेणी में शामिल होने के योग्य नहीं पाई जाती हैं परंतु जिनसे पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य को लाभ मिलता है तथा जो अन्यथा पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना के अन्य सभी उपबंधों के पूर्णत: अनुरूप है, उन्हें अन्य प्रकार की परियोजनाओं में शामिल किया गया है ।

9. सामुदायिक सहभागिता : विशेषज्ञ दल को परियोजना प्रस्तावक के संबंध में स्थानीय जनता जो उल्लंघनों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है, से प्राप्त सूचना को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि विशेषज्ञ दल को किसी विशिष्ट पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना में सामुदायिक हितों की जानकारी है तो उसे उस सूचना को प्रस्तावक के साथ मुक्त रूप से शेयर करना चाहिए । पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना के दौरान समुदायों से जानकारी मांगने की स्थिति में विकास योजना की परिणति पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना के रूप में हो सकती है जिससे प्रभावित समुदाय की आवश्यकता बेहतर ढंग से पूरी होगी; पर्यावरणीय न्याय को बढ़ावा मिलेगा । समुदाय में पर्यावरण संबंधी कानूनों के बारे में बेहतर समझ बनेगी; और समुदाय एवं प्रस्तावक की सुविधा के मध्य संबंध बेहतर बनेंगे ; पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना में समुदाय की सहभागिता उन मामलों में सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध हो सकती है जिनमें संभावित पयार्वरण संबंधी अनुपूरक योजना का दायरा व्यापक है और जिनमें विविध पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजनाएं बनाई जा सकती हैं । पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना पर विचार किए जाने में समुदायों से सहभागी बनाने से विशेषज्ञ दल और प्रस्तावक विशिष्ट पर्यावरणीय प्राथमिकताओं और किसी समुदाय के सरोकारों पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम होंगे जिसका अनेकानेक पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजनाओं पर विचार किए जाने की स्थिति में विशिष्ट महत्व है । समुदाय पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना के लिए विचारों का एक मूल्यवान स्रोत भी हो सकते हैं जिनमें वे विचार भी शामिल हो सकते हैं जिनके परिणामस्वरूप सार्वजनिक या नूतन पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना बनाना संभव हो सकता है जो अन्यथा नहीं बनती ।

10. पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना बनाना : अतिक्रमणों/उल्लंघनों के मामलों में सर्वप्रथम जरूरत इस बात की है कि कथित उल्लंघनों को तत्काल रोका जाए और उनसे हुई हानि को व्यवहार्य सीमा तक पूरा किया जाए । कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि गैर-अनुपालना को रोका जाए । पर्यावरण संबंधी अनुपूरक योजना में पर्यावरण अनुपालना को बढ़ावा दिया जाना और उसी उल्लंघनकर्ता तथा व्यवस्थित समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा भविष्य में ऐसे ही उल्लंघनों को रोककर जनस्वास्थ्य के संरक्षण में सहायता मिलनी चाहिए । पर्यावरणीय अनुपूरक योजना, यह सुनिश्चित करके कार्यकरण क्षेत्र के स्तर को कायम रखने में भी सहायक होनी चाहिए कि उल्लंघनकर्ताओं को उनके प्रतिद्वंद्वियों, जिन्होंने समय का पालन करने के लिए आवश्यक व्यय किया हो, के मुकाबले अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त न हो । विशेषज्ञ दल को पर्यावरणीय अनुपूरक योजना को अभिकल्पित करते समय उल्लंघनों से सम्बद्ध आर्थिक लाभ, उल्लंघनों की गहनता या गंभीरता और उल्लंघनकर्ताओं के अनुपालन न करने के पूर्व के इतिहास जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। पयार्वरणीय अनुपूरक योजना में किसी उल्लंघनकर्ता द्वारा कानून का अनुपालन न करने से प्राप्त आर्थिक लाभ के साथ-साथ उल्लंघनों द्वारा पहुंची पर्यावरणीय और विनियामक क्षति को प्रदर्शित करने वाले किसी उपयुक्त गंभीरता-आधारित घटक में हमेशा कमी करनी चाहिए । उल्लंघनों के मामलों में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए पर्यावरणीय अनुपूरक योजना को क्रियान्वित करने हेतु परियोजना प्रस्तावक की सहमति अपेक्षित होगी। विशेषज्ञ दल अपने लागत-लेखांकन के साथ पर्यावरणीय अनुपूरक योजना परियोजना तैयार करेगा । विशेषज्ञ दल के लागत आकलन से प्रस्तावों के असहमत होने के मामले में प्रस्ताव के लिए प्रलेखन के साथ अपने लागत आकलन को उपलब्ध कराना भी अपेक्षित होना चाहिए । विशेषज्ञ दल को पर्यावरणीय अनुपूरक योजना परियोजना लागत को अंतिम रूप से तैयार करते समय प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेज़ों को ध्यान में रखना चाहिए । विशेषज्ञ दल को यह निर्धारित करना चाहिए कि कौन सी संभाव्य पर्यावरणीय अनुपूरक योजना लागतें, लागत आकलन में समाविष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं । उदाहरण के लिए उपरी व्यय; अतिरिक्त कर्मचारी समय और वेतन; प्रशासनिक व्ययों; विधिक शुल्क; और ठेकेदार की भूल से संबंधित लागतें, समाविष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं । यदि प्रस्तावक, अपने लागत आकलन के समर्थन में प्रलेखन को उपलब्ध कराने में असमर्थ या अनिच्छुक होता है तो विशेषज्ञ दल द्वारा तैयार की गई पर्यावरणीय अनुपूरक योजना परियोजना को अंतिम समझा जाएगा ।

11. पर्यावरणीय अनुपूरक योजना का समापन और निगरानी : पर्यावरणीय अनुपूरक योजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों का वर्णन किया जाना चाहिए तथा इसमें दीर्घ कालिक अथवा जटिल पर्यावरणीय अनुपूरक योजनाओं हेतु समापन की अंतिम-तिथि और जहां कहां भी उपयुक्त हो, अंतरिम उपलब्धियों के साथ-साथ विस्तृत लागत आकलन समाविष्ट होना चाहिए । पर्यावरणीय अनुपूरक योजना में यह सत्यापित करने के लिए एक विश्वसनीय और उद्देश्यपरक साधन भी समाविष्ट होना चाहिए कि प्रस्तावक ने परियोजना को समय पर और संतोषजनक रीति से पूर्ण कर लिया है । जटिल अथवा दीर्घ-कालिक पर्यावरणीय अनुपूरक योजनाओं हेतु प्रस्तावक के लिए अपेक्षित आवधिक स्थिति रिपोर्टों के साथ-साथ पर्यावरणीय स्वीकृति की छमाही अनुपालन स्थिति प्रस्तुत करने की अपेक्षा पूरी की जानी चाहिए ।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय अनुपूरक योजना प्रमाणन : पर्यावरणीय अनुपूरक योजना के संबंध में परियोजना प्रस्तावक निम्नलिखित में से प्रत्येक की सच्चाई और सटीकता को प्रमाणित करेगा :

(क) यह कि पर्यावरणीय अनुपूरक योजना के संबंध में विशेषज्ञ दल को उपलब्ध कराई गई सभी लागत-संबंधी सूचना, पूर्ण और सटीक है तथा यह कि प्रस्तावक सद्भावपूर्वक आकलन करता है कि पर्यावरणीय अनुपूरक योजना को क्रियान्वित करने की लागत ..... रूपए है;

(ख) यह कि इस पर्यावरणीय अनुपूरक योजना को निष्पादित करने की तारीख को प्रस्तावक के लिए इन कार्यों को किसी केन्द्रीय, राज्यीय अथवा स्थानीय कानूनों द्वारा करना अपेक्षित नहीं है;

(ग) यह कि प्रस्तावक, किसी अन्य सरकारी संस्थान अथवा इकाई से पर्यावरणीय अनुपूरक योजना के किसी भाग के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं करेगा;

(घ) यह कि आयकर प्रयोजनों के लिए प्रस्तावक सहमत होता है कि यह ना तो सूची अथवा किसी आधार का फायदा उठाएगा ना ही पर्यावरणीय अनुपूरक योजना को निष्पादित करने में उपगत किन्हीं लागतों अथवा व्ययों में कटौती करेगा ।

13. पर्यावरणीय अनुपूरक योजना समापन रिपोर्ट : परियोजना प्रस्तावक के लिए अंतिम पर्यावरणीय अनुपूरक योजना समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । यह रिपोर्ट पर्यावरणीय प्रकोष्ठ की अध्यक्षता करने वाले कम्पनी के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और किसी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए । इस रिपोर्ट में पर्यावरणीय अनुपूरक योजना समापन का साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए (जिसमें फोटो, विक्रेता बीजक अथवा पावतियां, पर्यावरणीय अनुपूरक योजना प्राप्तकर्ताओं से पत्राचार, आदि शामिल हो सकते हैं लेकिन यह इन सबके होने तक ही सीमित नहीं है) तथा इसमें सभी पर्यावरणीय अनुपूरक योजना व्ययों का प्रलेखन किया जाना चाहिए । प्रस्तावक के लिए हद संभव तक परियोजना के साथ संबद्ध लाभों का मापन करना अपेक्षित है और प्राधिकरण को यह रिपोर्ट उपलब्ध करानी चाहिए कि किस प्रकार से इन लाभों का मापन और आकलन किया गया था । इन रिपोर्टों को मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के पास दर्ज कराया जाएगा।

14. किसी पर्यावरणीय अनुपूरक योजना को संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने में विफलता : परियोजना प्रस्तावक, जो किसी पर्यावरणीय अनुपूरक योजना को निष्पादित करने के लिए सहमत होता है, के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पर्यावरणीय अनुपूरक योजना एक सामयिक और संतोषजनक रीति से पूर्ण की जाए। पर्यावरणीय अनुपूरक योजना का संतोषजनक क्रियान्वयन पूर्ण करने में विफल होना, पर्यावरणीय स्वीकृति शर्त का घोर उल्लंघन समझा जाएगा तथा तदनुसार कार्रवाई आरम्भ की जाएगी । पर्यावरणीय अनुपूरक योजना की तैयारी में प्रस्तावक और विशेषज्ञ दल न्यूनतम कार्यकलाप अथवा विभिन्न कार्रवाइयों, जो संतोषजनक समापन का आधार हो सकते हैं, की पहचान करने में समर्थ होने चाहिए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2016

S.O. 1705(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required by sub-rule (3) of rule 5 of the Environment

(Protection) Rules, 1986, for the information of the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are published and;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified, to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or at e-mail address:- mk.singh65@ias.nic.in and satish.garkoti@nic.in.

Draft Notification

Whereas, subject to the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, under sub-section (1) of section 3 of the Act, the Central Government has the power to take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling, and abating environment pollution;

Whereas, section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 empowers the Central Government to give directions which reads as "Notwithstanding anything contained in any other law but subject to the provisions of this Act, the Central Government may, in the exercise of its powers and performance of its functions under this Act, issue directions in writing to any person, officer or any authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions;

Whereas, in pursuance of the Hon'ble High Court of Jharkhand's order dated the 28th November, 2014 in W.P. (C) No. 2364 of 2014 in the matter of Hindustan Copper Limited *Versus* Union of India, the Hon'ble Court held that the conditions under Office Memorandum dated 12th December, 2012 in paragraph No. 5 (i) and 5 (ii) were illegal and unconstitutional and the Court further held that action for alleged violation would be an independent and separate proceeding and therefore, consideration of proposal for environment clearance could not await initiation of action against the project proponent. The Hon'ble Court further ruled that the proposal for environment clearance must be examined on its merits, independent of any proposed action for alleged violation of the environmental laws;

And whereas, Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench *vide* its order dated 7th July, 2015 in Original Application No. 37 of 2015 in Original Application No. 213 of 2015 held that the Office Memoranda dated 12th December, 2012 and 24th June, 2013 on the subject of consideration of proposals for Terms of Reference or Environment Clearance or Coastal Regulation Zone Clearance involving violations of the Environment (Protection) Act, 1986 or Environment Impact Assessment Notification, 2006 Coastal Regulation Zone Notification, 2011 could not alter or amend the provisions of the Environment Impact Assessment notification, 2006 and had quashed the same;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and State Environment Impact Assessment Authorities are receiving certain proposals under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 for Terms of References and Environmental Clearance for projects which have started the work on site, expanded the production beyond the limit of environmental clearance or changed the product mix without obtaining prior environmental clearance;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary to bring the projects and activities which require prior environmental clearance in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 under compliance with the environmental laws and in regulated community in the interest of the environment at the earliest point of time rather than left them unregulated and unchecked, which will be more damaging to the environment;

Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and abating environmental pollution that all entities not complying with environmental regulation be brought under compliance with in the environmental laws in expedient manner, for furtherance of this purpose the Government of India deems it essential to grant environmental clearance with adequate safeguards to entities which were non-compliant to make them compliant. The process should be such that it deters non-compliance and the pecuniary benefit of non-compliance and damage to environment is adequately compensated for;

And whereas, Hon'ble Supreme Court in *Indian Council for Enviro-Legal Action Vs. Union of India* (the Bichhri village industrial pollution case), while delivering its judgment on 13th. February, 1996, analyzed all the relevant provisions of law and concluded that damages may be recovered under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (1996 [3] SCC 212). The Hon'ble Court observed that …… section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 expressly empowers the Central Government [or its delegate, as the case may be] to "take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of environment.....". Section 5 clothes the Central Government [or its delegate] with the power to issue directions for achieving the objects of the Act. Read with the wide definition of "environment" in Section 2(a), Sections 3 and 5 clothe the Central Government with all such powers as are "necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of the environment". The Central Government is empowered to take all measures and issue all such directions as are called for the above purpose. In the present case, the said powers will include giving directions for the removal of sludge, for undertaking remedial measures and also the power to impose the cost of remedial measures on the offending industry and utilize the amount so recovered for carrying out remedial measures…….. Hon'ble Court has further observed that levy of costs required for carrying out remedial measures is implicit in Sections 3 and 5 which are couched in very wide and expansive language. Sections 3 and 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, apart from other provisions of Water and Air Acts, empower the Government to make all such directions and take all such measures as are necessary or expedient for protecting and promoting the `environment', which expression has been defined in very wide and expansive terms in Section 2(a) of the Environment (Protection) Act. This power includes the power to prohibit an activity, close an industry, direct to carry out remedial measures, and wherever necessary impose the cost of remedial measures upon the offending industry. The question of liability of the respondents to defray the costs of remedial measures can also be looked into from another angle, which has now come to be accepted universally as a sound principle, viz., the "Polluter Pays" Principle. "The polluter pays principle demands that the financial costs of preventing or remedying damage caused by pollution should lie with the undertakings which cause the pollution, or produce the goods which cause the pollution."

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby publishes the draft notification as required by sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, which shall on and from the date of its final publication make this notification, for dealing with the cases which have failed to obtain prior environmental clearance under Environment Impact Assessment Notification, 2006:-

In case the projects or activities requiring prior environmental clearance under Environment Impact Assessment Notification, 2006 from the concerned regulatory authority are brought for environmental clearance after starting the construction work, or have undertaken expansion, modernization, and change in product- mix without prior environmental clearance, these projects shall be treated as cases of violations and shall be appraised for grant of environmental clearance and the project proponent to compensate may implement the Environmental Supplemental Plan to remediate the damage caused or likely to be caused, and take out the undue economic gain due to non-compliance and violation.

The Expert Appraisal Committee or the State Expert Appraisal Committee as the case may be shall refer such cases to the Expert Group, which shall be constituted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986; for making objective and thorough assessment of the pecuniary benefit accrued due to non-compliance and damage caused to the environment. In absence of Expert Group at any State, the case will be appraised at the Ministry level. The Expert Group may prepare an Environmental Supplemental Plan (ESP) for restoration of the damage caused to the environment and for further improvement of the environment. The detail of the Environmental Supplemental Plan is given at Appendix – I. The project proponent shall give the consent for implementation of the Environmental Supplemental Plan under the monitoring of the Expert Group, and satisfactory implementation of the Environmental Supplemental Plan shall form one of the specific conditions of the environmental clearance. The process of appraisal of the project for grant of environmental clearance and preparation of the Environmental Supplemental Plan shall be carried out simultaneously.

[F.No.22-116/2015-IA-III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Appendix -I

ENVIRONMENTAL SUPPLEMENTAL PLAN (ESP)

1. An Environmental Supplemental Plan (ESP) is an environmentally beneficial project or activity that is not required by law, but that an alleged violator of Environmental Impact Assessment Notification, 2006 agrees to undertake as part of the process of environmental clearance. "Environmentally beneficial" means an Environmental Supplemental Plan must remediate, improve, protect the environment or reduce risks to public health or the environment. Environmental Supplemental Plan projects or activities will go beyond what could legally be required for the violator to return to compliance, and secure environmental and public health benefits in addition to those achieved by compliance with applicable laws. In processing the cases for environmental clearance in instances of violation, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change will require the project proponent to achieve and maintain compliance with environmental laws and regulations and take action to remedy the harm or risk caused by past violations. The primary purpose of the Environmental Supplemental Plan is to discourage violations of the Environment Impact Assessment Notification, 2006, and to obtain environmental and public health protection and benefits that may not otherwise have occurred.

2. The Expert Appraisal Committee or State Expert Appraisal Committee shall refer such cases of violation to the Expert Group constituted by the Ministry for assessment of damage to the environment and undue economic benefit derived from non-compliance of provisions of the Environment Impact Assessment Notification, 2006. The Expert Group will work on the preparation of Environmental Supplemental Plan with the project proponent. The Expert Appraisal Committee or the State Expert Appraisal Committee should consider referral for preparation of Environmental Supplemental Plan early in the environmental clearance process. The Expert Group constituted by the Ministry shall be eligible for preparing the Environmental Supplemental Plan. To include a proposed project in an Environmental Supplemental Plan the Expert Group shall:

(i) Ensure that the project conforms to the basic definition of an Environmental Supplemental Plan;

(ii) Ensure that all legal guidelines are satisfied;

(iii) Ensure that the project fits within one (or more) of the designated categories of Environmental Supplemental Plans;

(iv) Determine the appropriate cost of remedying the ecological damage and amount of undue economic gain to the proponent due to violations or non compliance; and

(v) Ensure that the project satisfies all of the procedures, and requirements of the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

3. The implementation of Environmental Supplemental Plan reduces neither the stringency nor the timeliness requirements of Central environmental statutes and regulations. Performance of an Environmental Supplemental Plan does not alter a proponent's obligation to remedy a violation expeditiously and return to compliance. Projects or actions that are not required, but that reflect standard industry practices, are generally not acceptable as Environmental Supplemental Plan.

4. The Priorities under Environmental Supplemental Plan:

(i) Environmental Justice: This will be accorded high priority in formulation and implementation of Environmental Supplemental Plan. The "environmental justice" (EJ) will be defined as the fair treatment and meaningful involvement of all people, caste, colour, creed or income, with respect to the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations and policies. Low-Income segments of the population are disproportionately burdened by pollutant exposure. Environmental Supplemental Plan can help ensure that residents who spend significant portions of their time in, or depend on food and water sources located near the areas affected by violations will be protected. In some situations, members of a community impacted by an environmental violation may feel that they lack meaningful involvement in the enforcement process, including the selection of an Environmental Supplemental Plan. The Ministry strongly encourages the Expert Group and proponents to reach out to the community for Environmental Supplemental Plan ideas and prefers Environmental Supplemental Plan proposals that have been developed with input from the impacted community.

(ii) Pollution Prevention: The Pollution Prevention identifies an environmental management hierarchy in which pollution shall be prevented or reduced at the source whenever feasible; pollution that cannot be prevented should be

recycled in an environmentally safe manner, whenever feasible; pollution that cannot be prevented or recycled should be treated in an environmentally safe manner whenever feasible; and disposal or other release into the environment should be employed only as a last resort. Selection and evaluation of proposed Environmental Supplemental Plan should be conducted in accordance with this hierarchy of environmental management (e.g., Environmental Supplemental Plan that utilise techniques or approaches to prevent the generation of pollution are preferred over other types of pollution reduction or control strategies). Projects that prevent the generation of pollution often provide the chance to utilize new and innovative technologies, effectiveness in developing and implementing pollution prevention techniques and practices is also a factor in evaluating an Environmental Supplemental Plan.

(iii) Innovative Technology: Environmental Supplemental Plan will provide the proponent and the Expert Group with an opportunity to develop and demonstrate new technologies that may prove more protective of human health and the environment than existing processes and procedures. Environmental Supplemental Plan also provide the Expert Group or Expert Appraisal Committee and State Expert Appraisal Committee with a unique opportunity to observe and evaluate new technologies which might, should they prove effective and efficient, lead to better standard industry practices. Technology innovations may also be a means to assure that future industry and other commercial practices are sustainable, reflect the best available technology, and lead to continued long-term pollution reductions and improved public and environmental health. Innovative technology can take a variety of forms and may be applied broadly across environmental media and commercial, and industrial activities, processes and practices. Innovative enforcement tools, such as automatic monitors, e-reporting, web posting of data and independent third-party audits, may be appropriate for consideration as Environmental Supplemental Plan.

(iv) Climate Change: The Earth's climate is changing. Temperatures are rising, and rainfall patterns are shifting, and more extreme climate events such as increased floods and droughts, coastal storms, and record high temperatures are already taking place. These observed changes are linked to the increasing levels of carbon dioxide and other greenhouse gases in our atmosphere. Reducing greenhouse gas emissions through, for example, energy efficiency projects that reduce emissions by reducing energy demand can contribute to reducing climate change. Projects that address the causes of climate change and reduce or prevent emissions of climate change pollutants and greenhouse gases, such as carbon dioxide, will qualify as Environmental Supplemental Plan. In addition to working to curb climate change by reducing emissions, action by community members for adaptations to make the communities more resilient in the face of climate impacts will also qualify as ESPs. Preparing infrastructure and natural ecosystems for the changes that will occur with a changing climate can help communities adapt to climate change and be more resilient in avoiding or recovering from events resulting from a changing climate. Projects that address the impacts of climate change and that help increase a community's resilience in the face of these impacts on ecosystems or infrastructure, will qualify as Environmental Supplemental Plan.

5. The project must demonstrate that it is designed to remediate the ecological damage caused due to violations and it will reduce,

(a) The likelihood that similar violations will occur in the future;

(b) The adverse impact to public health and the environment to which the violation at issue contributes;

(c) The overall risk to public health and the environment potentially affected by the violation at issue.

6. Eligibility for an Environmental Supplemental Plan: The proposed Environmental Supplemental Plan should be consistent with all statutory and Constitutional requirements. So it shall meet the criteria of inter-relatedness. All projects must have sufficient inter-relatedness between the violation and the proposed project. The statutes on environment provides the regulators with broad authority to order for stoppage of the violations, take necessary steps to prevent future violations, such activity does not qualify as Environmental Supplemental Plan. Besides, the project should not be inconsistent with any provision of the underlying statutes that are the basis of the action for violation.

7. This inter-relatedness is easier to establish if the primary impact of the project is at the site where the alleged violation has occurred, at a different site in the same ecosystem, or within the immediate geographic area. Environmental Supplemental Plan may be related even if they address a different pollutant in a different medium, provided the project relates to the underlying violation(s). For the Expert Appraisal Committee and State Expert Appraisal Committee to properly evaluate an Environmental Supplemental Plan characteristics (the "what, where, when" of the Environmental Supplemental Plan), and establish the connection to the underlying violation being resolved, the type and scope of each

project must be specifically described and defined. Without a well-defined project with clear environmental or public health benefit, the Expert Group cannot demonstrate inter-relatedness.

8. Categories of Environmental Supplemental Plan: The main focus of the Environmental Supplemental Plan shall be the remediation of the ecological damage caused due to violation. Besides the above, the six specific categories of projects which may qualify as Environmental Supplemental Plan are given below; some Environmental Supplemental Plan may fall into more than one category. In addition, there is a seventh category for "Others."

(i) Public Health: Public health projects include those that provide diagnostic, preventative and health care treatment related to the actual or potential harm to human health caused by the violation. This includes, but is not limited to, epidemiological data collection and analysis, medical examinations of potentially affected persons, collection and analysis of blood or fluid or tissue samples, medical treatment and rehabilitation therapy. Examples of public health Environmental Supplemental Plan include blood lead level testing, asthma screening and treatment and mobile health clinics. Public health Environmental Supplemental Plan may also include projects such as mosquito eradication programs or donation of antimicrobial products to assist in natural disaster situations. Public health Environmental Supplemental Plan are acceptable only where the primary beneficiary of the project is the population that was harmed or put at risk by the violations.

(ii) Pollution Prevention: A pollution prevention project prevents pollution at its source, before it is generated. It includes any practice that reduces the quantity and toxicity of pollutants entering a waste stream prior to recycling, treatment, or disposal. After the pollutant or waste stream has been generated pollution prevention is no longer possible, and the waste must be handled by appropriate recycling, treatment, containment, or disposal methods (i.e., pollution reduction). Source reduction projects may include equipment or technology modifications, process or procedure modifications, reformulation or redesign of products, substitution of raw materials, and improvements in housekeeping, maintenance, training, inventory control, or other operation and maintenance procedures. Pollution prevention also includes any project which protects natural resources through conservation or increased efficiency in the use of energy, water, or other materials, as well as "in-process recycling" wherein waste materials produced during a manufacturing process are returned directly to production as raw materials on-site. Projects that replace or reduce the use of traditional energy sources with alternative energy sources or that implement energy efficiency activities, potentially reducing air pollutants associated with electric power generation and greenhouse gases that contribute to climate change, may qualify as pollution prevention Environmental Supplemental Plan. In all cases, for a project to meet the definition of pollution prevention, there must be an overall decrease in the amount and/or toxicity of pollution produced and released into the environment, not merely a transfer of pollution among media. This decrease may be achieved directly or through increased efficiency and conservation in the use of energy, water, or other materials.

(iii) Pollution Reduction: If the pollutant or waste stream already has been generated or released, a pollution reduction approach which employs recycling, treatment, containment or disposal techniques may be appropriate. A pollution reduction project is one which results in a decrease in the amount and toxicity of any hazardous substance, pollutant, or contaminant entering any waste stream or otherwise being released into the environment by an operating business or facility by a means which does not qualify as "pollution prevention." This type of Environmental Supplemental Plan may include the installation of a more effective end-of-process control or treatment technology, improved containment, or safer disposal of an existing pollutant source. Pollution reduction also includes "out-of-process recycling," wherein industrial waste collected after the manufacturing process and consumer waste materials are used as raw materials for off-site production.

(iv) Environmental Restoration and Protection: An environmental restoration and protection project is one which enhances the condition of the ecosystem or immediate geographic area adversely affected by the violation. These projects may be used to restore or protect natural environments and address environmental contamination and similar issues in man-made environments, and may include any project that protects the ecosystem from actual or potential damage resulting from the violation or that improves the overall condition of the ecosystem. Examples of such projects include: restoration of a wetland in the same ecosystem along the same avian flyway in which the facility is located, or management of a watershed area to protect a drinking water supply where the violation (e.g., a reporting violation) did not directly damage the watershed but potentially could lead to damage due to unreported discharges. This category also includes projects which provide for the protection of endangered species (e.g., developing conservation programs or protecting habitat critical to the well-being of a species endangered by the violation). In projects where the restoration work has been done, the Environmental Supplemental Plan may, under certain circumstances, include the creation or maintenance of certain recreational improvements.

(v) Assessments and Audits: There are three types of projects in the assessments and audits category: (a) pollution prevention assessments; (b) environmental quality assessments; and (c) compliance audits. These assessments and audits are only acceptable as Environmental Supplemental Plan when the proponent agrees to provide the Expert Group or Expert Appraisal Committee or State Expert Appraisal Committee with a copy of the report and the results are made available to the public, except to the extent they constitute confidential business information.

(a) Pollution prevention assessments are systematic, internal reviews of specific processes and operations designed to identify and provide information about opportunities to reduce the use, production and generation of toxic and hazardous materials and other wastes. To be eligible as Environmental Supplemental Plan, such assessments must be conducted using a recognized pollution prevention assessment or waste minimization procedure. Pollution prevention assessments are acceptable as Environmental Supplemental Plan without an implementation commitment by the proponent where the Expert Group determines that the Environmental Supplemental Plan delivers other benefits. Pollution prevention measures may be difficult to draft before the results of an assessment are known, and many of the implementation recommendations may constitute activities that are in the violators own economic interest and would not warrant Environmental Supplemental Plan.

(b) Environmental quality assessments are investigations of the condition of the environment at a site not owned or operated by the proponent; the environment impacted by a site or a facility regardless of whether the site or facility is owned or operated by the proponent; or threats to human health or the environment relating to a site or a facility regardless of whether the site or facility is owned or operated by the proponent. Environmental quality assessments include, but are not limited to, investigations of levels or sources of contamination in any environmental media at a site and monitoring of the air, soil, or water quality surrounding a site or facility. Such monitoring activities are important as the data can empower over-burdened communities, and inform and enhance efforts to reduce potential environmental risks and hazards. To be eligible as Environmental Supplemental Plan, such assessments must be conducted in accordance with recognized protocols, if available, applicable to the type of assessment to be undertaken.

(c) Compliance audit is of unit for meeting the various environmental standards determined by the statute.

(vi) Environmental Compliance Promotion: An environmental compliance promotion project provides training or technical support to other members of the regulated community in order to: (a) identify, achieve, and maintain compliance with applicable statutory and regulatory requirements or (b) go beyond compliance by reducing the generation, release, or disposal of pollutants beyond legal requirements. For these types of projects, the proponent may lack the experience, knowledge, or ability to implement the project itself and, if so, the proponent should be required to contract with an appropriate expert institution to develop and implement the compliance promotion project. Acceptable projects may include, for example, hosting a seminar directly related to correcting widespread or prevalent violations within the proponent's economic sector. Environmental compliance promotion Environmental Supplemental Plan are acceptable only where the primary impact of the project is focused on the same regulatory program requirements that were violated and where the Expert Group has reason to believe that compliance in the sector would be significantly advanced by the proposed project.

(vii) Other Types of Projects: Projects that do not fit within one of the categories above, but have environmental and public health benefits and are otherwise fully consistent with all other provisions of Environmental Supplemental Plan.

9. Community Involvement: The Expert Group should encourage input on project proposals from the local community that may have been adversely impacted by the violations. If the Expert Group is aware of community interest in particular Environmental Supplemental Plan, the Expert Group should feel free to share that information with the proponent. Soliciting community input during the Environmental Supplemental Plan development process can result in Environmental Supplemental Plan that better address the needs of the impacted community; promote environmental justice; produce better community understanding of environmental laws; and improve relations between the community and the proponent's facility. Community involvement in Environmental Supplemental Plan may be most appropriate in cases where the range of possible Environmental Supplemental Plan is great and multiple Environmental Supplemental Plan, may be formulated. Involving communities in consideration of Environmental Supplemental Plan will enables the Expert Group and the proponent to focus on the particular environmental priorities and concerns of a community, which is especially important if several different Environmental Supplemental Plan are being considered. The community also can be a valuable source of Environmental Supplemental Plan ideas, including ideas that result in creative or innovative Environmental Supplemental Plan that might not otherwise have been considered.

10. Preparation of Environmental Supplemental Plan: In cases of violations the primary requirement is that the alleged violators promptly cease the violations and, to the extent feasible, remediate any harm caused by the violations. The purpose is also to deter non-compliance. Environmental Supplemental Plan should promote environmental compliance and help protect public health by deterring future violations by the same violator and other members of the regulated community. Environmental Supplemental Plan should also help maintain a level playing field by ensuring that violators

do not obtain an unfair economic advantage over their competitors who made the necessary expenditures to comply on time. In designing an Environmental Supplemental Plan, the Expert Group should considers factors such as the economic benefit associated with the violations, the gravity or seriousness of the violations and the violator's prior history of non-compliance. Environmental Supplemental Plan must always recoups the economic benefit a violator gained from non-compliance with the law, as well as an appropriate gravity-based component reflecting the environmental and regulatory harm caused by the violation(s). The consent of the project proponent for implementing Environmental Supplemental Plan will be required for grant of Environmental Clearance in cases of violations. The Expert Group will prepare the Environmental Supplemental Plan project with its costing. The proponent should also be required to provide its cost estimate with documentation, in case the proponent disagrees with cost estimation of the Expert Group. The Expert Group should take such documents provided by the proponent into account in finalizing the Environmental Supplemental Plan project cost. The Expert Group should determine what potential Environmental Supplemental Plan costs are not eligible for inclusion in the cost estimate. For example the costs related to overhead; additional employee time and salary; administrative expenses; legal fees; and contractor oversight are not suitable for inclusion. If the proponent is unable or unwilling to provide documentation supporting its cost estimate, the Environmental Supplemental Plan project prepared by the Expert Group shall be taken as final.

11. Completion and Monitoring of Environmental Supplemental Plan: The Environmental Supplemental Plan must describe the specific actions to be performed by the project proponent, and should include a completion deadline and, where appropriate, interim milestones for long-term or complex Environmental Supplemental Plans, along with the detailed cost estimate. The Environmental Supplemental Plan should also include a reliable and objective means to verify that the proponent has completed the project on time and in a satisfactory manner. For complex or long-term Environmental Supplemental Plans, including a requirement for the proponent to submit periodic status reports along with six monthly compliance status of Environmental Clearance should be done.

12. Environmental Supplemental Plan Certification by the Project Proponent: With regard to the Environmental Supplemental Plan, the project proponent shall certify the truth and accuracy of each of the following:

(a) That all cost information provided to the Expert Group in connection with the Environmental Supplemental Plan is complete and accurate and that the proponent in good faith estimates that the cost to implement the Environmental Supplemental Plan is Rs. ----------;

(b) That on the date of executing this Environmental Supplemental Plan, the proponent is not required to perform these tasks by any Central, State, or local laws;

(c) That the proponent will not receive reimbursement for any portion of the Environmental Supplemental Plan from another government institution or entity;

(d) That for income tax purposes, the proponent agrees that it will neither capitalize into inventory or basis nor deduct any costs or expenditures incurred in performing the Environmental Supplemental Plan.

13. Environmental Supplemental Plan Completion Report: The project proponent will be required to submit final Environmental Supplemental Plan completion report. This report should be signed by the company's officer heading the Environmental Cell and certified by a chartered accountant. The report should provide evidence of Environmental Supplemental Plan completion (which may include, but is not limited to, photos, vendor invoices or receipts, correspondence from Environmental Supplemental Plan recipients, etc.) and document all Environmental Supplemental Plan expenditures. To the extent feasible, the proponent should be required to quantify the benefits associated with the project and provide the authority with a report setting forth how the benefits were measured or estimated. These reports will be filed with the Regional Office of the Ministry.

14. Failure to Complete Satisfactorily an Environmental Supplemental Plan: The project proponent who agrees to perform a Environmental Supplemental Plan, it is important that the Environmental Supplemental Plan be completed in a timely and satisfactory manner. The failure to complete satisfactory implementation of Environmental Supplemental Plan will be a serious violation of Environmental Clearance condition and action will be initiated accordingly. In Environmental Supplemental Plan preparation, the proponent and the Expert Group should be able to identify a minimum activity or number of actions that can be the basis of satisfactory completion.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.